न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार,आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 01/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
पोसुबाई धर्मपत्नि श्री गीनाराम जाति माली आयु 41 वर्ष आयु 41 वर्ष पेशा खेती व गृहणी निवासी पोसीतरा तहसील सिरोही जिला सिरोही		1– वेलाराम पुत्र नवाजी 2– मंगलाराम पुत्र नवाजी 3– चुना पुत्र नवाजी 4– गणेश पुत्र नवाजी सभी आयु व्यस्क जातियान माली पेशा खेती मुकाम रतनगढ पोस्ट मेरमाण्डवाडा तहसील व जिला सिरोही राज. 5– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– श्री नगेन्द्रकुमार मेडतियॉ,वकील प्रार्थीयॉ की ओर से
2– श्री दिनेशकुमार सुराणा वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 4तक की ओर से
3– तहसीलदार,सिरोही अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट की ओर से

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने ।

आदेश

दिनांक 26–8–2019

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 तक व स्टेट बाबत राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दिनांक 12–1–2018 को पेश किया । जिसका संक्षिप्त मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि मौजा मेरमाण्डवाडा पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा तहसील सिरोही मे निम्नलिखित कृषि आराजी आई हुई है जिसके पुराने खसरा नंबर 315/1 रकबा 20 बीघा 03 विस्वा है। उक्त खसरा की आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थीया ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है। पूर्व मे प्रार्थीया की आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की आराजी के खसरा संख्या 315 थे जिसका विभाजन मौके पर पूर्व खातेदारान द्वारा किया गया था,खसरा नंबर 315 की आराजी के दक्षिण की तरफ की आराजी प्रार्थीया के पूर्व खातेदार के हिस्से मे रखी गई थी तथा उत्तर दिशा की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्व खातेदार के हिस्से मे रखी गई थी

मौके पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है। प्रार्थीया ने खसरा नंबर 315 की दक्षिणी तरफ की आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था तब से लगातार दक्षिण दिशा की आराजी पर ही काबिज होकर काश्त कर रही है। वर्तमान भूप्रबन्ध के दौरान खसरा संख्या 315 की आराजी का तरमीम किया गया, जिसमे उक्त आराजी के राजस्व नक्शा मे प्रार्थीया के हिस्से की आराजी के खसरा नंबर 412 अंकित किये गये तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के हिस्से की आराजी के खसरा नंबर 413 अंकित किये गये है लेकिन जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 413 प्रार्थीया के नाम व 412 अप्रार्थीगणों के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा संख्या 412 की आराजी राजस्व नक्शा मे जिस स्थान पर दर्शित की है उस स्थान पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है तथा खसरा नंबर 413 की आराजी राजस्व नक्शा मे जिस स्थान पर दर्शित की है,उस स्थान पर अप्रार्थी संख्या एक से चार का कब्जा काश्त है। उक्त गलती राजस्व कर्मचारियों से भूप्रबन्ध के दौरान हुई है प्रार्थीया ने अपने खातेदारी की आराजी को काफी रकम लगाकर उपजाउ व काश्त योग्य बनाया है। प्रार्थीया की आराजी मे कुँआ,भवन तथा बिजली कनेक्शन है,जिससे आराजी सिंचित होती है। प्रार्थीया के कब्जे की आराजी के सथान पर अप्रार्थी संख्या एक से चार की खातेदारी दर्शित करने से प्रार्थीया को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है प्रार्थीया के खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध मे मौके पर सही तरमीम नही होने से प्रार्थीया को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीया को बहुविवाद मे उलझना पड रहा है। अप्रार्थी संख्या 5 का यह दायित्व है कि प्रार्थीया के खातेदारी की आराजी का रकबा व मौके पर काबिज अनुसार नक्शा की दुरूस्ती करें तथा रेकर्ड को सही रखें,इस हेतु प्रार्थीगण ने राजस्व अधिकारियों से निवेदन किया,लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नही दिया गया है। प्रार्थीया को उक्त गलती की जानकारी होने पर तहसीलदार साहब सिरोही से उक्त दुरूस्ती हेतु निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की हिदायत देने से श्रीमान के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा होने से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीया का निवेदन है कि प्रार्थीया का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया

लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)

जाकर राजस्व नक्शा मे खसरा नंबर 412 की आराजी के स्थान पर खसरा संख्या 413 दुरूस्त किया जावें तथा खसरा संख्या 413 की आराजी के स्थान पर खसरा संख्या 412 दर्ज कर दुरूस्ती की जाने के आदेश प्रदान करावें या जमाबंदी मे खसरा संख्या 412 की आराजी प्रार्थीया के नाम दर्ज की जावें तथा खसरा संख्या 413 की आराजी अप्रार्थी संख्या एक से चार के नाम दर्ज कर दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित जमाबंदी संवत नक्शा व मिलान क्षैत्रफल की प्रतियॉ तथा जमाबंदी संवत 2050 से 2053 व जमाबंदी संवत 2070 से 2073 व प्रार्थीया का पहचान पत्र की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से दिनांक 12–1–2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 तक को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर उक्त नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 9–3–2018 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये तथा सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तक की ओर से वकील श्री सुरेशचन्द्र सुराणा ने वकाललतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । पत्रावली अप्रार्थीगण के जवाब हेतु इस न्यायालय मे दिनांक 8–6–2018 को रखी गई।

विचारण प्रकरण की केम्प कोर्ट मेरमाण्डवाडा मे पेशी दिनांक 8–6–2018 को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही ने अलग अलग जवाब पेश किये जिन्हे शामिल किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तक ने अपने जवाब मे यह कथन किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 का कथन गलत होने से अस्वीकार करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीया की कृषि भूमि के पुराने खसरा संख्या 315/1 रकबा 20 बीघा 03 विस्वा वाके ग्राम मेरमाण्डवाडा होना एवं सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थीया द्वारा पंजिकृत विक्रय लेख के जरिये विक्रेता से खरीद करना एवं तदनुसार विक्रय लेख मे दर्शाई भूमि का कब्जा प्राप्त करना असत्य होने से अस्वीकार है तथा प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 के सम्बन्ध मे निवेदन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने खसरा नंबर 315 मी. व अन्य भूमि वाके मेरमाण्डवाडा विक्रय लेखों के जरिये क्रय की एवं उस क्रय शुदा भूमि पर प्रार्थीया काबिज काश्त होने से अप्रार्थीगण ने खसरा संख्या 315 की शेष बची भूमि पर कब्जा धारण किया । प्रापत्र के पद संख्या 3 के उत्तर मे निवेदन किया कि इइस पद की हकीकत असत्य होने से अस्वीकार है। इस पद मे दर्शाये अनुसार खसरा नंबर 315 की भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के खातेदारी की होना एवं उसका विभाजन मौके पर पूर्व खातेदारान द्वारा किया जाना असत्य होने से अस्वीकार है। इस पद मे दर्शाये अनुसार खसरा नंबर 315 की आराजी के दक्षिण की तरफ की आराजी प्रार्थीया के पूर्व खातेदार के हिस्से मे रखी जाने एवं उत्तर दिशा की आराजी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पूर्व खातेदारान के हिस्से मे रखी जाना अस्वीकार है। मौके पर प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को विक्रय की गई भूमि पर गलती से या जानबुझकर अच्छी जमीन होने से कब्जा किया है जिससे अप्रार्थीगण जमीन की अदला–बदली नियमानुसार धारा 49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत प्रार्थीया से कराने के अधिकारी है। इस पद मे दर्शाये अनुसार प्रार्थीगया को खसरा नंबर 315 के दक्षिण दिशा की जमीन पंजिकृत विक्रय विलेख के जरिये क्रय करने के तथ्य असत्य है एवं अस्वीकार है। विक्रेता द्वारा प्रार्थीया को खसरा संख्या 315 के दक्षिणी दिशा का हिस्सा विक्रय किया जाना अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4,5,6,7,व 8 के कथन की हकीकत अस्वीकार कर निवेदन किया कि वर्तमान जमाबंदी मे प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 413 मे दर्शाई गई है व अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 412 से दर्शाई गई है। मौके पर प्रार्थीया ने भूल से या जानबुझकर अप्रार्थीगण की भूमि जो अच्छी व उपजाउ थी पर कब्जा किया है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया से भूमि की अदला बदली बमुजीब धारा 49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे करवाने के व वास्तविक क्रय शुदा भूमि पर कब्जा धारण करने के अधिकारी है तथा प्रार्थीया ने उसे विक्रय की गई भूमि पर कब्जा नही किया व अप्रार्थीगण को विक्रय की गई भूमि पर कब्जा जानबुझकर अथवा भूल से कर उसे अब शुद्व करवाना चाहती है जिसको उसे कोई अधिकार नही है। राजस्व नक्शे अनुसार अप्रार्थीगण की भूमि पर प्रार्थीया ने गलती से अथवा जानबुझकर कब्जा किया है जो उसे छोड देना चाहिये। पक्षकारान जमीन की अदला बदली कराकर अप्रार्थीगण के नाम वाली भूमि जो वास्तविकता मे उन्हे विक्रय की गई थी पर कब्जा करना चाहिये एवं प्रार्थीगया अपनी क्रय की गई भूमि पर कब्जा धारण करें। अप्रार्थीगण ऐसा करने को तैयार है। प्रार्थीया ने यह जानते हुये कि उसके विक्रय विलेख के विपरित उसने अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर उस पर कुंआ निर्माण व बिजली का सम्बन्ध कराया है। विवादित भूमि डार्कजोन मे होने से राज्य की बिना इजाजत कुंआ खुदवाना अपराध है एवं कुंआ कानूनन ध्वस्त योग्य है। विधुत सम्बन्ध अप्रार्थीगण के नाम की खातेदारी की कृषि भूमि मे प्रार्थीया ने विधुत विभाग से विधुत सम्बन्ध धोखाघडी से व अधिकारियों से मिलावट कर करवाया है। बैंक से ऋण भी अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर बैंक वालों से मिलावट कर प्रार्थीया ने धोखाघडी से प्राप्त किया है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के नाम की दर्ज खातेदारीी की भूमि पर अवैध बिन अधिकार कृत्य,कर स्थानीय राजस्व कर्मचारियों से विधुत कर्मचारियों से बैंक कर्मचारियों से मिलावट कर अपराधिक कृत्य किये है। प्रार्थीया अवैध कृत्य के लिये स्वंय जिम्मेवर है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के विरूद्व कानूनी कारवाई करने व दण्डित करवाने का अधिकार सुरक्षित रखते है।प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट तहसीलदार सिरोही को इस प्रकरण मे पक्षकार बनाया है परन्तु विधि अनुसार इस कार्यवाही को करने के पूर्व उन्हे कोई नोटिस नियमानुसार

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)

नही दिया है। अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्व इस कारवाई को प्रस्तुती का कोई अधिकार प्रार्थीया को नही है

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 तक ने अपने उक्त जवाब के विशेष कथन मे निवेदन किया है कि प्रार्थीया ने उसे विक्रय की गई भूमि पर कब्जा नही किया। विवादित भूमि डार्कजोन मे होने से राज्य की बिना इजाजत कुंआ खुदवाना अपराध है एवं कुंआ कानूनन ध्वस्त योग्य है। विधुत सम्बन्ध अप्रार्थीगण के नाम की खातेदारी की कृषि भूमि मे प्रार्थीया ने विधुत विभाग से विधुत सम्बन्ध धोखाघडी से व अधिकारियों से मिलावट कर करवाया है। बैंक से ऋण भी अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर बैंक वालों से मिलावट कर प्रार्थीया ने धोखाघडी से प्राप्त किया है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के नाम की दर्ज खातेदारी की भूमि पर अवैध बिन अधिकार कृत्य,कर स्थानीय राजस्व कर्मचारियों से विधुत कर्मचारियों से बैंक कर्मचारियों से मिलावट कर अपराधिक कृत्य किये है। जिसके लिये फौजदारी व दिवानी कारवाई प्रार्थीया के विरूद्व करने के अधिकार अप्रार्थीगण सुरक्षित रखते है। वर्तमान जमाबंदी मे प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 413 मे दर्शाई गई है व अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 412 से दर्शाई गई है। मौके पर प्रार्थीया ने भूल से या जानबुझकर अप्रार्थीगण की भूमि जो अच्छी व उपजाउ थी पर कब्जा किया है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया से भूमि की अदला बदली बमुजीब धारा 49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत लोक अदालत की भावना से न्यायालय द्वारा न्यायहित मे किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः अप्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आवेदन को भारी खर्चो सहित खारीज किया जावे एवं न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के कब्जे मे वर्तमान मे जो भूमि उसकी अदला बदली बमुजीब धारा 49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायहित मे कराई जावें ।

अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे कथन किया कि ग्राम मेरमाण्डवाडा के गत भूप्रबन्ध के खसरा संख्या 315 मे केता द्वारा भूमि पोसुबाई पत्नि गीमाजी माली निवासी पोसीतरा ने 3.26 हैक्टेयर क्रय की है जिसका नवीन खसरा संख्या 413 बनता है। ग्राम मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 412 मे 3.26 हेक्टेयर कृषि भूमि वेला, मंगला,चुना गणेशा पि0 नवाजी माली के नाम से दर्ज है। उक्त दोनो ही खसरा संख्या गत भूप्रबन्ध के खसरा संख्या 315 से बना है। आवेदक के नाम खसरा संख्या 413 जमाबदी मे दर्ज है। परन्तु पोसूबाई का कब्जा व काश्त खसरा संख्या 412 पर है। खसरा संख्या 412 मे कुआ भी खोदा गया है। चालू हालत मे है। अतः आवेदक के नाम खसरा संख्या 412 दर्ज किया जाना उचित है। आवेदक के नाम से खसरा नंबर 412 मे विधुत संबंध भी है। गत भूप्रबन्ध के खसरा संख्या 315 के नये खसरा संख्या 412 व 413 बने है। गत भूप्रबन्ध के खसरा संख्या 315 मे तरमीम नही है।

इस न्यायालय मे दिनांक 25–6–2019 को विचारण प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर वकील प्रार्थीया तथा वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 तक तथा अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस रखी गई जिस पर वकील प्रार्थीया व वकील अप्रार्थीगण तथा तहसीलदार सिरोही ने न्यायालय मे हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

इस न्यायालय मे दिनांक 15–7–2019 को वकील उभय पक्षकारान ने हाजिर होकर पुराने राजस्व रेकर्ड प्रतियॉ व कानूनी नजीरे आदेश से पूर्व पेश करने हेतु निवेदन करने से न्यायहित मे राजस्व रेकर्ड प्रतियॉ व कानूनी नजीरे पेश करने हेतु समय दिया गया । विचारण प्रकरण की पत्रावली न्यायालय मे दिनांक 22–7–2019 को रखी गई जिस पर वकील अप्रार्थीगण ने निम्नांकित काननी नजीरे

1– आर.आर.डी. 1977 पज नंबर 276
2– आर.आर.डी 1994 पेज नंबर 505
3– आर.आर.डी. 2010 पेज नंबर 764

पत्रावली वास्ते गत आदेशिका दिनांक 25–6–2019 की पालना मे आदेश हेतु दिनांक 31–7–2019 को पेश करने का आदेश दिया गया । विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे दिनांक 31–7–2919 को सुनवाई के दौरान तहसीलदार,सिरोही द्वारा प्रस्तुत जवाब मे आवेदक के नाम से खसरा नंबर 412 दर्ज किया जाना उचित बताया है तो फिर खसरा नंबर 413 पर कौन वयक्ति कब से कितने रकबे पर काबिज है उक्त जवाब अधूरा होने से मौके की वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक मौका रिर्पोट मंगाया जाना उचित होने से दौराने सुनवाई न्यायालय मे हाजिर पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) को निर्देश दिये गये कि वे प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करने हेतु उक्तानुसार मौके की वर्तमान वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक मौका रिर्पोट आगामी पेशी दिनांक 7–8–2019 से पूर्व पेश करें ।जिस पर पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) ने अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही की ओर से जरिये पत्र क्रमांक 538 दिनांक 7–8–2019 का जवाब व भू.अ.नि. मेरमाण्डवाडा व पटवारी हल्का मेरमाण्डवाडा दिनांक 4–8–2019 को संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया उसकी मौका निरीक्षण रिर्पोट पेश की गई जिसे शा.मि. किया गया ।

तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे यह कथन किया कि यह सही है कि मौजा मेरमाण्डवाडा तहसील सिरोही मे निम्नलिखित कृषि आराजी आई हुइ है जिसके पुराना खसरा नंबर 315/1 रकबा 20 बीघा 03 विस्वा है जिसका वर्तमान खसरा नंबर 413 रकबा 03.26 हैक्टेयर भूमि पोसुबाई पत्नि गीमाराम माली सा. पोसीतरा खातेदार रहनः रा.म.ग्रा बैक शाखा तंवरी के नाम से दर्ज है उक्त खसरा संख्या की आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थीया ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलखे के जरिये खरीद की गई है तथा मौजा मेरमाण्डवाडा पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा तहसील सिरोही मे अप्रार्थी संख्या एक से चार के खातेदारी की आराजी के पुराने खसरा संख्या 315 मी. रकबा 20 बीघा 03 विस्वा जो सही है। मौके पर कब्जा प्रार्थी स्वंय सिद्व करना बताया है तथा वर्तमान भूप्रबन्ध के दौरान खसरा नंबर

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर

315मी. का 412 व खसरा नंबर 315/1 का खसरा नंबर 413 तरमीम से अंकित किया गया है प्रार्थीया पोसुबाई पत्नि गीमाराम माली नि. पोसीतरा के द्वारा खसरा नंबर 315/1 क्रय किया गया है।

उक्त भू.अ.नि. मेरमाण्डवाडा व पटवारी हल्का मेरमाण्डवाडा की संयुक्त मौका जांच रिर्पोट के अनुसार ग्राम मेरमाण्डवाडा के खसरा नंबर 412 रकबा 3.26 हैक्टेयर कृषि भूमि गणेश पुत्र नवा ,चुना पुत्र नवा ,मंगला पुत्र नवा,वेना पुत्र नवा,माली के नाम से संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि जमाबंदी मे दर्ज है। ग्राम मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 413 रकबा 3.26 हैक्टेयर कृषि भूमि पोसुबाई पत्नि गीमाराम माली के नाम से बतौर खातेदार जमाबंदी मे दर्ज है। ग्रामवासीयान व खातेदारान व पडौसी खातेदारदान के रूबरू मौका निरीक्षण करने पर यह पाया कि ग्राम मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 412 रकबा 3.26 हैक्टेयर मे वर्तमान मे काश्त व कब्जा पोसुबाई पत्नि गीमाराम कौम माली सा. पोसीतरा का है। खसरा नंबर 412 मे वर्तमान मे कुंआ खुदा हुआ है। विधुत संबंध भी है। मौतबिरान व खातेदारान ने यह बताया कि खसरा नंबर 412 मे कुंआ खुदाई पोसुबाई पत्नि गीमाजी माली द्वारा ही करवाया गया है। मौके पर उपस्थित गणेशराम पुत्र नवाजी माली ने यह बताया कि उक्त कुंआ पोसुबाई द्वारा खुदवाया गया है। गणेशराम स्वंय ने उक्त खसरा संख्या 412 पर कब्जा व काश्त पोसुबाई का होना बताया है। पूर्व खातेदार उनाराम पुत्र ताराराम माली ने यह बताया कि मेरे द्वारा पोसुबाई,लीलाराम रावल व प्रागाराम को बेचान क्रमश उक्त भाग ही किया है जिस पर लगातार क्रेतागण क्रमशः लीलाराम रावल प्रागाराम माली व पोसूबाई माली का कब्जा व काश्त है। ग्राम मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 413 वर्तमान जमाबंदी मे पोसूबाई पत्नि गीमाराम माली के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है परन्तु ग्राम मेरमाण्डवाडा मे गणेशराम वगैरहा माली काश्तकार लीलाराम पुत्र मगाजी पोसीतरा ने उपस्थित होकर यह बताया कि मेरे द्वारा खसरा नंबर 413 मे गणेशराम वगैरहा माली के ठेका देने से काश्त कर रहा है अर्थात खसरा नंबर 413 मे गणेशराम पुत्र नवाजी वगैरहा माली का ही कब्जा व काश्त है अर्थात मौका व रेकार्ड मे भिन्नता है अर्थात कब्जा अनुसार रेकर्ड दुरूस्त करने से रेकार्ड सही बन जायेगा । मूल रूप से कृषक उनाराम पुत्र ताराजी कौम माली द्वारा वर्तमान कब्जा अनुसार ही पूर्व मे कृषि भूमि बेचान करना बताया । उपस्थित मौतबिरानों ने यह बताया कि कब्जा अनुसार ही रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

इस न्यायालय मे दिनांक 7–8–2019 को विचारण प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 पर वकील प्रार्थीया तथा वकील अप्रार्थीगण की अंतिम बहस रखी गई जिस पर वकील प्रार्थीया तथा वकील अप्रार्थीगण व पैरोकार सरकार ने दौराने सुनवाई न्यायालय मे हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे दिनांक 19–8–2019 को प्रार्थनापत्र पेश कर संयुक्त मौका जांच रिर्पोट तलब की गई एवं उक्त रिर्पोट न्यायालय मे प्राप्त होना आज अवगत होने से उक्त मौका जांच रिर्पोट की प्रतिलिपि प्राप्त कर मौका जांच रिर्पोट पर आपत्ति पेश करने का हेतु समय देने व मौका जांच रिर्पोट पर सुनवाई करने का निवेदन किया जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायहित मे समय दिया जाकर प्रकरण की पत्रावली वास्ते वकील प्रार्थीया व वकील अप्रार्थीगण की संयुक्त मौका जांच रिर्पोट पर सुनवाई व आपत्ति पेश करने हेतु इस न्यायालय मे दिनांक 20–8–2019 को पत्रावली रखी गई ।

इस न्यायालय मे दिनांक 20–8–2019 को विचारण प्रकरण की पत्रावली वास्ते सुनवाई पेश हुई । वकील प्रार्थीया व वकील अप्रार्थीगण उपस्थित हुये । वकील प्रार्थीया उक्त संयुक्त मौका जांच रिर्पोट का जवाब या आपत्ति पेश नही करना चाहते वरन् उक्त प्रार्थनापत्र वकील अप्रार्थीगण पर सीधी बहस करने का निवेदन किया जिस पर न्यायालय मे सुनवाई के दौरान उपस्थित वकील प्रार्थीया व वकील अप्रार्थीगण के तर्को को ध्यानपूर्वक सुनकर उस पर गहनतापूर्वक मनन किया । वकील अप्रार्थीगण का उक्त प्रार्थनापत्र बाबत् संयुक्त मौका जांच रिर्पोट पर आपत्ति करने का वस्तुस्थिति के तथ्यों से परे झूठा होने से तथा न्यायालय का मानना है कि प्रकरण मे न्याय गुणावगुण के आधार पर निष्पक्षता पूर्ण हो इस कारण किसी भी प्रकरण मे जटिल विवाद व प्रकरण के तथ्यों की वस्तुस्थिति तथ्यों पर आधारित वर्तमान मौका जांच रिर्पोट मंगाने का दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 26 के नियम 9 के तहत प्रावधानों अनुसार न्यायालय के विवेकाधिकार का मामला होने से न्यायहित मे न्यायालय द्वारा आवश्यक व उचित समझने से मंगवाई है।जो कि प्रकरण के गुणावगुण पर आधारित निर्णय करने मे सहायक सिद्व होगी । विचारण इस प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 पर इस न्यायालय मे दिनांक 25–6–2019 को वकील प्रार्थीया तथा वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 तक तथा अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट पैरोकार सरकार की अंतिम बहस हो चुकी है। अतः उपरोक्त आधार पर वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत संयुक्त मौका जांच रिर्पोट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार (खारिज) किया जाता है।

हमने विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थनापत्र ,जवाब ,मय दस्तावेजात प्रतियों वर्णित जमाबंदी संवत नक्शा व मिलान क्षैत्रफल की प्रतियॉ तथा जमाबंदी संवत 2050 से 2053 व जमाबंदी संवत 2070 से 2073 व प्रार्थीया का पहचान पत्र की प्रतियों प्रार्थीया से पूर्व दलपतराम व अन्य के द्वारा खरीद की गई खसरा संख्या 315/1 रकबा 20 बीघा 3 विस्वा भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 22–7–1999 की प्रति ,प्रार्थीया द्वारा उक्त खरीद की गइई भमि के विकय विलेख की प्रति खसरा नंबर 315/1 दिनांक 8–6–2004 विधुत विभाग मे कनेक्शन की रसीद 16–8–2005,5–6–09,लगान की रसीद 2–8–2007,19–1–2009, 4–8–2005,27–11–2006,विधुत बिल माह जनवरी 2011,मार्च 2011,जुलाई 2010 की प्रतियों तथा संयुक्त मौका जांच दिनांक 4–8–2019संबंधित पटवारी हल्का मेरमाण्डवाडा व भू. अ.नि. मेरमाण्डवाडा तथा वकील उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का भी गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । वकील उभय पक्षकारान की अंतिम बहस पर भी गंभीरता से मनन

किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन व दस्तावेजात के विश्लेषण के उपरान्त निष्कर्षत्यात्मक तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नंबर 413 रकबा 03.26 हैक्टेयर भूमि पोसुबाई पत्नि गीमाराम माली सा. पोसीतरा खातेदार रहनः रा.म.ग्रा बैक शाखा तंवरी के नाम से दर्ज है उक्त खसरा संख्या की आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थीया ने जरिये पंजीकृत विकय विलखे के जरिये खरीद की गई है तथा मौजा मेरमाण्डवाडा पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा तहसील सिरोही मे अप्रार्थी संख्या एक से चार के खातेदारी की आराजी के पुराने खसरा संख्या 315 मी. रकबा 20 बीधा 03 विस्वा जो सही है। वर्तमान भूप्रबन्ध के दौरान खसरा नंबर 315मी. का 412 व खसरा नंबर 315/1 का खसरा नंबर 413 तरमीम से अंकित किया गया है तथा प्रार्थीया पोसुबाई पत्नि गीमाराम माली नि. पोसीतरा के द्वारा खसरा नंबर 315/1 कय किया गया है। उक्त भू.अ.नि. मेरमाण्डवाडा व पटवारी हल्का मेरमाण्डवाडा की संयुक्त मौका जांच रिर्पोट के अनुसार ग्राम मेरमाण्डवाडा के खसरा नंबर 412 रकबा 3.26 हैक्टेयर कृषि भूमि गणेश पुत्र नवा ,चुना पुत्र नवा ,मंगला पुत्र नवा,वेना पुत्र नवा,माली के नाम से संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि जमाबंदी मे दर्ज है। ग्राम मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 413 रकबा 3.26 हैक्टेयर कृषि भूमि पोसुबाई पत्नि गीमाराम माली के नाम से बतौर खातेदार जमाबंदी मे दर्ज है। ग्रामवासीयान व खातेदारान व पडौसी खातेदारदान के रूबरू मौका निरीक्षण करने पर यह पाया कि ग्राम मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 412 रकबा 3.26 हैक्टेयर मे वर्तमान मे काश्त व कब्जा पोसुबाई पत्नि गीमाराम कौम माली सा. पोसीतरा का है। खसरा नंबर 412 मे वर्तमान मे कुंआ खुदा हुआ है। विधुत संबंध भी है। मौतबिरान व खातेदारान ने यह बताया कि खसरा नंबर 412 मे कुंआ खुदाई पोसुबाई पत्नि गीमाजी माली द्वारा ही करवाया गया है। मौके पर उपस्थित गणेशराम पुत्र नवाजी माली ने यह बताया कि उक्त कुंआ पोसुबाई द्वारा खुदवाया गया है। गणेशराम स्वंय ने उक्त खसरा संख्या 412 पर कब्जा व काश्त पोसुबाई का होना बताया है। पूर्व खातेदार उनाराम पुत्र ताराराम माली ने यह बताया कि मेरे द्वारा पोसुबाई,लीलाराम रावल व प्रागाराम को बेचान कमश उक्त भाग ही किया है जिस पर लगातार केतागण कमशः लीलाराम रावल प्रागाराम माली व पोसूबाई माली का कब्जा व काश्त है। ग्राम मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 413 वर्तमान जमाबंदी मे पोसूबाई पत्नि गीमाराम माली के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है परन्तु ग्राम मेरमाण्डवाडा मे गणेशराम वगैरहा माली काश्तकार लीलाराम पुत्र मगाजी पोसीतरा ने उपस्थित होकर यह बताया कि मेरे द्वारा खसरा नंबर 413 मे गणेशराम वगैरहा माली के ठेका देने से काश्त कर रहा है अर्थात खसरा नंबर 413 मे गणेशराम पुत्र नवाजी वगैरहा माली का ही कब्जा व काश्त है अर्थात मौका व रेकार्ड मे भिन्नता है अर्थात कब्जा अनुसार रेकर्ड दुरूस्त करने से रेकार्ड सही बन जायेगा । मूल रूप से कृषक उनाराम पुत्र ताराजी कौम माली द्वारा वर्तमान कब्जा अनुसार ही पूर्व मे कृषि भूमि बेचान करना बताया । उपस्थित मौतबिरानों ने यह बताया कि कब्जा अनुसार ही रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

विवेचनाधीन प्रकरण मे खसरा नंबर 315 बडा खसरा था। उस मेसे प्रार्थीया ने भूमि कय की थी प्रथम बार बेचाननामे मे अप्रार्थीगण का कब्जा था बाद मे बचे हुये हिस्से मे प्रार्थीया का कब्जा है व कुआ है बिजली कनेक्शन है जिसको अप्रार्थीगण ने स्वीकार किया है। दौराने मौका जांच मे भी ग्राम मेरमाण्डवाडा के नक्शे अनुसार खसरा संख्या 412 रकबा 3.26 हैक्टेयर मे वर्तमान मे काश्त व कब्जा पोसुबाई पत्नि गीमाराम कौम माली सा. पोसीतरा का है। खसरा नंबर 412 मे वर्तमान मे कुंआ खुदा हुआ है। विधुत संबंध भी है। मौतबिरान व खातेदारान ने यह बताया कि खसरा नंबर 412 मे कुंआ खुदाई पोसुबाई पत्नि गीमाजी माली द्वारा ही करवाया गया है। मौके पर उपस्थित गणेषराम पुत्र नवाजी माली ने यह बताया कि उक्त कुंआ पोसुबाई द्वारा खुदवाया गया है। गणेशराम स्वंय ने उक्त खसरा संख्या 412 पर कब्जा व काश्त पोसुबाई का होना बताया है। पूर्व खातेदार उनाराम पुत्र ताराराम माली ने यह बताया कि मेरे द्वारा पोसुबाई,लीलाराम रावल व प्रागाराम को बेचान कमश उक्त भाग ही किया है जिस पर लगातार केतागण कमशः लीलाराम रावल प्रागाराम माली व पोसूबाई माली का कब्जा व काश्त है। ग्राम मेरमाण्डवाडा के खसरा संख्या 413 वर्तमान जमाबंदी मे पोसूबाई पत्नि गीमाराम माली के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है परन्तु ग्राम मेरमाण्डवाडा मे गणेशराम वगैरहा माली काश्तकार लीलाराम पुत्र मगाजी पोसीतरा ने उपस्थित होकर यह बताया कि मेरे द्वारा खसरा नंबर 413 मे गणेशराम वगैरहा माली के ठेका देने से काश्त कर रहा है अर्थात खसरा नंबर 413 मे गणेशराम पुत्र नवाजी वगैरहा माली का ही कब्जा व काश्त है अर्थात मौका व रेकार्ड मे भिन्नता है अर्थात कब्जा अनुसार रेकर्ड दुरूस्त करने से रेकार्ड सही बन जायेगा । सुनवाई के दौरान अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह.कालन्द्री) ने उक्त संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के कब्जे काश्त अनुसार व दोनो खसरा नंबरान का रकबा एक ही समान होने से खसरा नंबर 412 की आराजी प्रार्थीया के नाम तथा खसरा नंबर 413 की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तक के नाम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना बताया है। उपरोक्त राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि भूप्रबन्ध अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा बिना मौका जांच के उनकी लापरवाही से हुई है जिसको सुधार किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीया को मानसिक तनाव के साथ आर्थिक नुकसान के साथ साथ इस प्रकरण मे भविष्य मे कानूनी बाहुल्यताऐं बढने की संभावना है। विवेचनाधीन प्रकरण मे वकील प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत कानूनी नजीर माननीय राज.उच्च न्यायालय जोधपुर आर.आर.टी. 2012(2) पेज नं.814 शीर्षक अचलपुरी व अनय बनाम राजस्थान सरकार व अन्य पूर्ण रूप से लागु होने से मै सहमत हॅू क्योंकि उक्त नजीर मे यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि विरोधी पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर धारा 136 एल.आर.एक्ट के अर्न्तगत त्रुटि को सुधारा जा सकता है। राजपैरोकार की रिपोर्ट एवं अप्रार्थीगणों के जवाब से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं में सार है एवं अप्रार्थीगण द्वारा भी उक्त शुद्धि किया जाना किया वांछित बताया है परन्तु इसके लिये नियमानुसार विनिमय के प्रावधानों के तहत कार्यवाही किया जाना उचित होना जाहिर किया है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वास्तव में दोनों

खातेदारों प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि सेटलमेंट पूर्व एक ही खसरे 315 का भाग थी एवं सेटलमेंट पूर्व एक ही खसरे में अलग अलग भू भाग पर काबिज थे एवं सेटलमेंट के दौरान दौनो के नये खसरे निर्मित हुये जिसमें त्रूटिवश जमाबंदी के अनुसार नक्शे में खसरा नंबर का अंकन न कर वाइस वर्सा अंकन कर दिया। यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में दोनो खसरान 412 व 413 का क्षेत्रफल व किस्म एक समान है एवं पूर्व ही यथा स्थान सेटल्ड है अतः विनिमय के प्रावधानों के अन्तर्गत कवर नहीं होता है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीया का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 तक का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिये जाते है कि मौजा मेरमाण्डवाडा पटवार हल्का,मेरमाण्डवाडा तहसील सिरोही मे राजस्व नक्शा मे अंकित खसरा नंबर 412 की आराजी के स्थान पर खसरा नंबर 413 दुरूस्त किया जावे एवं नक्शे में खसरा नंबर 413 की आराजी के स्थान पर खसरा नंबर 412 का अंकन कर दुरूस्ती कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय मे भिजवाने की व्यवस्था करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 26–8–2019 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही